भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र संं0 8 बी/यू.सी.पी./06/80/2022/एफ.सी. **दिनांकः As per E-sign**

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः जनपद - बागेश्वर के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के कि0 मी0 171.00 से 206.00 (बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला) दो लेन में चैड़ीकरण हेतु 18.405 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्टीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online no FP/UK/ROAD/151120/2022).

सन्दर्भः-(i) कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 938/12-1: देहारादून: दिनांक 06.11.2025.
(ii) इस कार्यालय द्वारा आयोजित आर॰ई॰सी॰ की बैठक दिनांक 27.11.2025 के उपरांत जारी किए गए कार्यव्रत (copy of MoM of REC meeting is on https://forestsclearance.nic.in/rec_report.aspx).

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव पर आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 27.11.2025 में चर्चा की गई थी जिसमें प्रस्ताव पर निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः

"After detailed discussion, the REC decided to ***defer*** the proposal and sought the following information:

1. Committee noted that the observation of the REC in its meeting held on 27.10.2023 to minimize the numbers of trees to be felled has not been complied. Rather, the numbers of trees proposed for felling increased from 5981 trees to 7882 trees without giving cogent justification by the State Government and User Agency.
   In view of the above, REC decided to form a Committee under the chairmanship of the concerned Conservator of Forests (Territorial) along with concerned DFOs and the User Agency, who shall carry out joint inspection of the proposed diversion area (including the muck dumping area) to
   i) explore the possibility to reduce the numbers of trees to be affected, and

ii) ascertain the exact number of trees to be affected in the proposed project.

2. The User Agency shall upload the correct KML file and area calculation details of the proposed road on the PARIVESH portal.
3. Details of employment generation shall be provided on the PARIVESH portal."

अतः आपसे अनुरोध है की उक्त बिन्दुओं पर जवाब प्रस्तुत करने का कष्ट करें। उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

Digitally signed by
Neelima Shah
Date: 09-12-2025
17:43:26

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (**केन्द्रीय**)

प्रतिलिपिः- प्रमुख सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।